तत्परता | मानवीय संवेदनाओं और कर्तव्यनिष्ठा की पेश की मिसाल

रक्तदान से बची ऑन-ड्यूटी कर्मचारी की जान

जबलपुर, नवभारत। पश्चिम मध्य रेलवे के इटारसी और भोपाल के रेलकर्मियों ने मानवीय संवेदनाओं और कर्तव्यनिष्ठा की ऐसी मिसाल पेश की, जिसने पूरे रेल परिवार को गौरवान्वित कर दिया।

बताया जाता है कि ट्रेन संख्या 12628 कर्नाटक एक्सप्रेस में ऑन-ड्यूटी तैनात एसी मैकेनिक के. स्टीफन इटारसी आउटर के पास हादसे का शिकार होकर गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही आरपीएफ, मेडिकल तथा एसएसई इलेक्ट्रिक ईटीएल स्टाफ ने बिना देर किए उन्हें रेलवे एंबुलेंस से इटारसी के निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां समय रहते इलाज शुरू होने से उनकी जान बचाने में सफलता मिली।

सागर मल्टी हॉस्पिटल किया रेफर

घायल रेलकर्मी को अस्पताल ले जाने पर पता चला कि संबंधित अस्पताल का रेलवे से अनुबंध 30 जून को समाप्त हो चुका है। इसके बावजूद उपमंडल रेल चिकित्सालय इटारसी के एमएस डॉ. मोहम्मद फरज़ीन ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए तत्परता दिखाई और औपचारिकताओं में समय गंवाने के बजाय तत्काल उपचार शुरू कराने का निर्णय लिया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें भोपाल के सागर मल्टी हॉस्पिटल रेफर किया गया।

घायल कर्मी को रक्त की थी आवश्यकता

भोपाल में घायल कर्मचारी के परिजन मौजूद नहीं थे और अत्यधिक रक्तस्राव के कारण तत्काल रक्त की आवश्यकता थी। ऐसे में उपमंडल रेल चिकित्सालय के कर्मचारी आयुष बड़कुर और इलेक्ट्रिकल ईटीएल विभाग के जूनियर क्लर्क दीपक कनौजिया मरीज के साथ भोपाल पहुंचे और बिना किसी हिचकिचाहट के स्वयं रक्तदान कर उनकी जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोनों कर्मचारी तब तक अस्पताल में डटे रहे, जब तक मरीज की हालत स्थिर नहीं हो गई। पश्चिम मध्य रेलवे प्रशासन ने आरपीएफ, मेडिकल, इलेक्ट्रिक स्टाफ तथा दोनों रेलकर्मियों की संवेदनशीलता, त्वरित निर्णय क्षमता और निस्वार्थ सेवा भावना की सराहना करते हुए इसे रेल परिवार की मानवता और समर्पण का प्रेरणादायक उदाहरण बताया।

रेपुरा में युवती को सांप ने डसा

युवती को तत्काल पहुंचाया अस्पताल, एंटी स्नेक वेनम देकर मेडिकल कॉलेज किया रेफर

पनागर, नवभारत। पनागर के अंतर्गत आने वाले ग्राम रेपुरा निवासी 20 वर्षीय युवती पलक केवट पिता आत्माराम केवट मंगलवार को सर्पदंश का शिकार हो गई, जिसके बाद परिजनों द्वारा उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पनागर लाया गया, जहां समय रहते प्राथमिक उपचार के बाद उसे गम्भीर हालत में मेडिकल रेफर कर दिया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार पनागर के ग्राम रेपुरा निवासी पलक केवट अपने घर से चाचा के घर जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में उसके बाएं पैर पर जहरीले सर्प ने काट लिया। घटना के तुरंत बाद उसने अपने चचेरे भाई संदीप केवट एवं महेंद्र चौबे को इसकी जानकारी दी। इसके बाद महेंद्र चौबे और संदीप केवट बिना समय गंवाए घायल युवती को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पनागर ले गए। सूचना मिलते ही समाजसेवी अनिल दुबे एवं अमित परौहा स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और चिकित्सकों को घटना की जानकारी दी। अस्पताल में मौजूद मेडिकल ऑफिसर डॉ. राकेश गुप्ता एवं डॉ. श्रीपति मिश्रा ने तत्परता दिखाते हुए युवती का तत्काल परीक्षण किया तथा आवश्यक प्राथमिक उपचार शुरू किया। चिकित्सकों द्वारा उसे एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन दिया गया। उपचार के दौरान युवती के सभी वाइटल्स (रक्तचाप, नाड़ी, श्वसन एवं अन्य जीवन रक्षक संकेत) सामान्य पाए गए। चिकित्सकों ने बेहतर एवं विशेषज्ञ उपचार के उद्देश्य से युवती को आगे की चिकित्सा के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। समय पर उपचार और स्वास्थ्य केंद्र की त्वरित कार्यवाही से युवती की स्थिति में सुधार बताया गया। स्थानीय लोगों ने चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की तत्परता की सराहना की।

मेधावी छात्र योजना की राशि शीघ्र जारी करने की मांग

पनागर। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 12वीं की परीक्षा में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन को लेकर पनागर क्षेत्र के छात्रों और समाजसेवियों ने राज्य सरकार से एक विशेष मांग की है।लैपटॉप राशि का बेसब्री से इंतजार है कि योजना के तहत पात्र मेधावी छात्र-छात्राओं को लैपटॉप खरीदने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा ?25,000 की राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित (ट्रांसफर) की जानी है। इस प्रोत्साहन योजना को लेकर विद्यार्थियों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। शांति निकेतन स्कूल, पनागर की छात्रा अनन्या खरे और भूमिका व्यासी ने बताया कि वे इस राशि का बेहद बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के इस प्रोत्साहन कदम से उन्हें आगे बढ़ने की बड़ी खुशी और संबल मिला हैछात्रों का कहना है कि यदि यह राशि समय पर मिल जाती है, तो छात्र कॉलेज खुलने से पहले ही लैपटॉप खरीद सकेंगे।इससे उन्हें कॉलेज की पढ़ाई शुरू होने से पूर्व ही लैपटॉप पर आवश्यक अभ्यास (कंप्यूटर और डिजिटल लर्निंग का प्रैक्टिस) करने का पर्याप्त समय मिल जाएगा।

विद्यार्थियों को सिखाए सुरक्षित साइबर फ्रॉड से बचने के गुर

शासकीय श्याम सुंदर अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में चलाया साइबर जागरूकता अभियान

सिहोरा, नवभारत। डिजिटल युग में बढ़ते साइबर अपराधों और ऑनलाइन धोखाधड़ी की घटनाओं को देखते हुए शासकीय श्याम सुंदर अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सिहोरा के कंप्यूटर साइंस एवं एप्लीकेशंस विभाग द्वारा 'सेफ-क्लिक साइबर सुरक्षा जागरूकता सत्र' का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक बनाना तथा सुरक्षित डिजिटल व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करना था। सत्र के दौरान विशेषज्ञों ने साइबर सुरक्षा के विभिन्न आयामों पर विस्तार से प्रकाश डाला और प्रतिभागियों को व्यावहारिक एवं उपयोगी जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम का संचालन अजय सिंह बघेल ने किया। मुख्य वक्ता के रूप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिहोरा के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक सतीश मिश्रा उपस्थित रहे। उन्होंने वर्तमान समय में तेजी से बदलते साइबर अपराधों के स्वरूप तथा उनसे बचाव के प्रभावी उपायों पर विस्तार से जानकारी दी।

अपने उद्बोधन में श्री मिश्रा ने 'थिंक बिफोर यू क्लिक' (क्लिक करने से पहले सोचें) का संदेश देते हुए किसी भी संदिग्ध लिंक, ई-मेल, एसएमएस, व्हाट्सऐप संदेश अथवा सोशल मीडिया संदेश पर क्लिक करने से पहले उसकी सत्यता जांचने की सलाह दी। उन्होंने मजबूत पासवर्ड बनाने, समय-समय पर उन्हें परिवर्तित करने तथा फिशिंग जैसे साइबर हमलों से बचने पर विशेष बल दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी बैंक, सरकारी विभाग अथवा प्रतिष्ठित संस्था कभी भी फोन पर ओटीपी, पासवर्ड, यूपीआई पिन, एटीएम पिन अथवा सीवीवी जैसी गोपनीय जानकारी नहीं मांगती।

उन्होंने सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग पर भी विशेष बल देते हुए कहा कि व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक करने से बचना चाहिए तथा समय-समय पर प्राइवेसी सेटिंग्स की समीक्षा करनी चाहिए। मुख्य वक्ता ने कहा कि किसी भी संदिग्ध कॉल, संदेश या वीडियो पर विश्वास करने से पहले उसकी पुष्टि अवश्य कर लेनी चाहिए। साथ ही ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की स्थिति में तत्काल 1930 हेल्पलाइन पर संपर्क करने की सलाह दी।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य ने विद्यार्थियों से ऑनलाइन आकर्षक प्रचार-प्रसार, फर्जी कॉल, भ्रामक संदेश तथा संदिग्ध ऑनलाइन खरीदारी वेबसाइटों से सतर्क रहने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आज के स्मार्ट मोबाइल और कंप्यूटर मशीन लर्निंग तकनीक के आधार पर उपयोगकर्ता की रुचियों और खोजों के अनुरूप सामग्री प्रदर्शित करते हैं, इसलिए प्रत्येक नागरिक को स्वयं जागरूक रहने के साथ-साथ अपने परिवार और समाज को भी साइबर अपराधों से बचाव के प्रति जागरूक करना चाहिए।

ये रहे उपस्थित

कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आयोजन समिति ने मुख्य वक्ता, उपस्थित प्राध्यापकों एवं विद्यार्थियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। यह जागरूकता सत्र विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी, ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायी सिद्ध हुआ तथा उन्हें सुरक्षित, सजग और जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बनने की दिशा में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान कर गया।

एक नजर में

जिला स्तरीय नियुक्ति समिति के सदस्य बने सर्वेश

पनागर। शिक्षा एवं सामाजिक सरोकारों के क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय भूमिका निभा रहे समाजसेवी पंडित सर्वेश मिश्रा को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है, बताया जाता है कि जिला शिक्षा केंद्र जबलपुर द्वारा जारी शासकीय आदेश के अनुसार उन्हें सर्व शिक्षा अभियान के जिला स्तरीय नियुक्ति समिति का अशासकीय सदस्य मनोनीत किया गया है यह मनोनयन राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के निर्देश एवं जिले के प्रभारी मंत्री की अनुशंसा के बाद किया गया।

तैलिक साहू महापंचायत 9 अगस्त को शहपुरा में

शहपुरा नवभारत 8 जुलाई। अखिल भारतीय तेली महासभा के जिला अध्यक्ष एडवोकेट दयाराम साहू की अध्यक्षता में बुधवार को शहपुरा में तैलिक साहू समाज के प्रमुखों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा कांग्रेस सहित अन्य दलों के सक्रिय नेता सहित सामाजिक संगठन के लोग उपस्थित रहे। बैठक के दौरान अधिवक्ता दयाराम साहू अखिल भारतीय तेली महासभा के जिला अध्यक्ष ने डिंडोरी जिले में सक्रिय रूप से दोनों राजनीतिक दल भाजपा एवं कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कि साहू समाज के साथ लगातार इन पार्टियों के द्वारा अन्याय किया जा रहा है। उन्हें योग्य प्रतिनिधित्व से वंचित रखा जा रहा है, जबकि साहू समाज चुनाव में निर्णायक भूमिका अदा करता है।

साहू समाज को उपेक्षित रखा गया-चुनाव के दौरान भाजपा और कांग्रेस दोनों ही सिर्फ साहू समाज का उपयोग करती है। विगत दिनों भी भाजपा एवं कांग्रेस दोनों दलों में संगठन के विभिन्न पदों पर अन्य समाज के लोगों को बड़ी संख्या में बड़े-बड़े पद दिए गए, वही साहू समाज को उपेक्षित रखा गया, जबकि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने में सबसे अधिक साहू समाज निर्णायक भूमिका अदा करता है।

मासूम से दरिंदगी के विरोध में एसपी को सौंपा ज्ञापन

मझौली, नवभारत, जबलपुर। राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक 13 वर्षीय नाबालिग मासूम बच्ची के साथ हुई अमानवीय दरिंदगी, मानव तस्करी और यौन शोषण की वीभत्स घटना को लेकर मध्य प्रदेश के मझौली क्षेत्र में भारी आक्रोश है।

बुधवार को क्षेत्र के जागरूक नागरिकों और टार्गेट युवा शक्ति वेलफेयर सोसाइटी' के कार्यकर्ताओं ने थाना प्रभारी मझौली के माध्यम से पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर (राजस्थान) के नाम एक ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की मांग की है।

संगठित अपराध और 30-32 दोषियों पर कार्रवाई की मांग

ज्ञापन में सोसाइटी के पदाधिकारियों ने बताया कि मासूम बच्ची को बहला-फुसलाकर होटलों में ले जाया गया और दरिंदों के हवाले कर दिया गया। इस जघन्य अपराध में लगभग 30 से 32 अपराधी, होटल संचालक और बिचौलिए शामिल हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह एक बड़े संगठित अपराध का हिस्सा है। इस घटना ने कानून व्यवस्था के साथ-साथ बेटियों की सुरक्षा पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए हैं। सोसाइटी ने इस संगठित नेक्सस और घिनौने अपराध में शामिल सभी दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर पॉक्सो एक्ट व अन्य कठोर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर फांसी देने की मांग की एवं मामले की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष जांच दल का गठन कर फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाने सहित जिन होटलों या स्थानों पर इस कृत्य को अंजाम दिया गया, उनके खिलाफ सख्त कानूनी बुलडोजर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए एवं पीड़ित बालिका को राज्य सरकार की ओर से पर्याप्त मुआवजा, परिवार को पूर्ण सुरक्षा और मनोवैज्ञानिक परामर्श (काउंसलिंग) की सुविधा उपलब्ध की मांग की गई है।

प्रधानमंत्री को भी भेजी प्रतिलिपि

इस संबंध में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दीवान, और थाना प्रभारी श्रीगंगानगर को भी उचित हस्तक्षेप और त्वरित न्याय हेतु प्रेषित की गई है। टार्गेट युवा शक्ति वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष आशीष कुमार तिवारी, उपाध्यक्ष सुशील कुमार दाहिया, सचिव यश कुल्हाड़ा, कोषाध्यक्ष प्रिंस साहू, संयुक्त सचिव शिवकुमार प्रजापति एवं सदस्य कपिल मेहरा, सुकेश सहित क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिकों ने इस संवेदनशील मामले में बिना किसी दबाव के निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है।

पौधरोपण व नशामुक्ति की शपथ दिलाकर मनाया स्थापना दिवस

पनागर म.प्र. जन अभियान परिषद के स्थापना दिवस पखवाड़े पर संगोष्ठी का आयोजन

पनागर, नवभारत। म.प्र. जन अभियान परिषद विकासखण्ड पनागर के द्वारा नवांकुर संस्था सुनहरा कल बेल्फेयर फाउंडेशन,एवं ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति ग्राम महगवां परियट के द्वारा ग्राम पंचायत महगवां परियट में घनश्याम रायपुरिया जिला समन्वयक जबलपुर, भारत महरोलिया विकासखंड समन्वयक पनागर की उपस्थिति में मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के स्थापना दिवस पखवाड़ा स्वैच्छिकता पर्व संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें उपस्थित जनो को समितियों के माध्यम से नगर व ग्रामो में 4 जुलाई से 12 अगस्त तक स्वच्छता पखवाड़ा,पर्यावरण संरक्षण,सामाजिक समरसता नशामुक्ति के रूप में कार्य करने के विषय मे जानकारी दी गई एवं ग्रामो में अधिक से अधिक पौधारोपण करने का संदेश दिया गया है।कार्यक्रम पश्चात उपस्थित जनो को स्वैच्छिकता,नशामुक्ति की शपथ दिलाई गई है तथा ग्राम पंचायत प्रांगण में अंजीर एवं आम के पौधों को सभी की उपस्थिति में लगाया गया है कार्यक्रम में नवांकुर संस्था सेक्टर प्रभारी धर्मेंद्र कुशवाहा,प्रस्फुटन समिति अध्यक्ष पी.एस ठाकुर,राहुल लोधी, राजेश सोनी के साथ समितियों के सदस्यो, छात्र,छात्राओ की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न किया गया है।

धनपुरी नप अध्यक्ष के खिलाफ शिकायत पर लें फैसला

जाति प्रमाण पत्र विवाद मामले में हाईकोर्ट के निर्देश

जबलपुर। हाईकोर्ट के जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने धनपुरी नगर परिषद अध्यक्ष रविंदर कौर छावड़ा के जाति प्रमाण-पत्र से जुड़े विवाद में शहडोल कलेक्टर को 90 दिन के भीतर शिकायत का निराकरण करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस आदेश के साथ याचिका का निपटारा कर दिया।

यह याचिका धनपुरी नगर परिषद के पार्षद आनंद कचेर, भोला प्रसाद पनिका और स्कंद कुमार सोनी की ओर से दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि अध्यक्ष रविंदर कौर छावड़ा ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर चुनाव लड़ा, जबकि उनका पूर्व का ओबीसी प्रमाण-पत्र एसडीओ द्वारा निरस्त किया जा चुका था। इसके बावजूद उन्होंने नया जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता ब्रजेश मिश्रा और कमलेश द्विवेदी ने अदालत को बताया कि इस संबंध में 24 मार्च 2026 को शहडोल कलेक्टर के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गई थी, लेकिन कई महीने बीतने के बाद भी उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कलेक्टर को निर्देश दिया कि शिकायत का विधि अनुसार परीक्षण कर 90 दिनों के भीतर अंतिम निर्णय लिया जाए। न्यायालय ने उक्त निर्देश के साथ याचिका का निराकरण कर दिया।

सेवानिवृत्ति से पहले तबादले पर हाईकोर्ट की रोक

सरकार से एक माह में मांगा जवाब

जबलपुर। सेवा के आखिरी पड़ाव में किए गए स्थानांतरण पर हाईकोर्ट ने राहत देते हुए स्पष्ट कर दिया कि कर्मचारी की आपत्ति पर पहले विधिसम्मत निर्णय लिया जाए। न्यायालय ने अनूपपुर की प्राथमिक शिक्षिका कमल जान्हा के तबादले पर अंतरिम राहत देते हुए उन्हें फिलहाल पुराने स्कूल में ही कार्यरत रखने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मोहन लाल शर्मा, शिवम शर्मा व जितेंद्र गर्ग ने पैरवी की।

हाईकोर्ट जस्टिस विशाल धगत की एकलपीठ ने याचिका का निराकरण करते हुए संबंधित सक्षम प्राधिकारी को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता के लंबित अभ्यावेदन पर 30 दिनों के भीतर कारणयुक्त और स्पष्ट आदेश पारित किया जाए। तब तक शिक्षिका अपने वर्तमान पदस्थापना स्थल शासकीय संदीपनी स्कूल, पचखुरा, विकासखंड कोतमा जिला अनूपपुर में कार्य करती रहेंगी। अनूपपुर निवासी 61 वर्षीय कमल जान्हा ने 16 जून 2026 के स्थानांतरण आदेश को चुनौती दी थी। उनका तबादला कोतमा से शासकीय प्राथमिक विद्यालय अमौदा, विकासखंड पुष्पराजगढ़ किया गया था। याचिका में कहा गया कि उनकी सेवानिवृत्ति में केवल 12 माह शेष हैं। ऐसे समय स्थानांतरण से पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति संबंधी प्रक्रियाएं प्रभावित हो सकती हैं। यह भी बताया गया कि इस संबंध में दिया गया अभ्यावेदन अब तक लंबित है। जिसके बाद न्यायालय ने उक्त राहतकारी आदेश दिया।

ग्राम सभाओं का आयोजन आज और कल

उमरिया। कलेक्टर सहाय ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2.0 अन्तर्गत आवास प्लस वर्ष 2024 के सर्वे में चेकर द्वारा पात्र पाए गए हितग्राहियों का अंतिम सूची का वाचन, अनुमोदन हेतु ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा सम्पन्न कराने हेतु 9 और 10 जुलाई को अधिकारियों व कर्मचारियों की डयूटी नोडल अधिकारी के रूप मे लगाई है। उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारी चयनित ग्राम सभा हेतु ग्राम पंचायत में निर्धारित तिथि समय व स्थान पर उपस्थित होकर शासन द्वारा जारी एजेन्डा अनुसार ग्राम सभा का आयोजन कराना सुनिश्चित करेंगे।

मानपुर तहसील में झोलाछाप डॉक्टरों का जाल

बिना डिग्री इलाज कर मरीजों की जान से कर रहे खिलवाड़, प्रशासन बेखबर

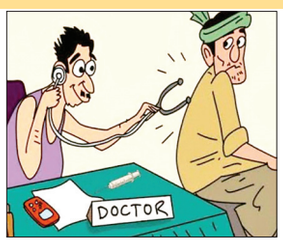

चिल्हारी नवभारत 8 जुलाई। मानपुर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत मुडगुडी के क्षेत्र में इन दोनों झोलाछाप डॉक्टरों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। बिना किसी मान्यता प्राप्त डिग्री और प्रशिक्षण के खुलेआम क्लीनिक संचालित कर रहे हैं और मरीजों का इलाज कर रहे हैं।

जानकारी के अनुसार कई जगहों पर तथा कथित डॉक्टर गंभीर बीमारियों का भी इलाज कर रहे हैं, जिससे मरीजों की हालत बिगड़ने के मामले सामने आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सस्ती और तुरंत उपलब्ध सुविधा के कारण ग्रामीण इन झोलाछाप डॉक्टरो के पास जाने को मजबूर है।

कई गावों में हैं ऐसे डॉक्टरों की भरमार-बता दें कि अमरपुर क्षेत्र में ऐसे कई गांव है जहां झोलाछाप डॉक्टरों की भरमार है। इनमें बकेली उमरिया, मुडगुडी, बचहा, पड़वार, सुखदास, भरौली आदि कई गांव शामिल हैं। कई मामलों में गलत दवाइयों के इस्तेमाल से मरीज को नुकसान पहुंचने की शिकायतें भी मिल रही है।

प्रशासन की चुप्पी पर सवाल-सबसे चिंता जनक बात ये है कि इतने बड़े स्तर पर अवैध कार्य चलने के बावजूद संबंधित विभाग और प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। इससे यह सवाल उठ रहा है कि आखिर जिम्मेदार अधिकारी इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं।

क्षेत्र में कार्यवाही की उठ रही मांग-स्थानीय नागरिकों ने स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन से मांग की है कि ऐसे झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ सख्त अभियान चलाकर कार्यवाही की जाए ताकि लोगों की जान के साथ हो रहे खिलवाड़ को रोका जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रशासनिक कार्रवाई के साथ-साथ लोगों में जागरूकता फैलाना भी जरूरी है ताकि वह केवल योग और पंजीकृत डॉक्टरों से इलाज कराए।

कार्रवाई | अवैध उत्खनन और परिवहन पर एसडीएम पाली की बड़ी कार्रवाई

अवैध उत्खनन करते पोकलेन सहित 4 वाहन जब्त

उमरिया, नवभारत। जिले की नौरोजाबाद तहसील अंतर्गत घोरछत नदी के समीप कथित अवैध उत्खनन और परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार, टीबीसीएल कंपनी द्वारा नेशनल हाईवे के किनारे दिनदहाड़े अवैध रूप से खनिज उत्खनन एवं परिवहन किए जाने की सूचना पर एसडीएम पाली मीनाक्षी बंजारे मौके पर पहुंचीं। निरीक्षण के दौरान संबंधित पक्ष से खनिज उत्खनन एवं परिवहन से जुड़े वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया, लेकिन आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जा सके। इसके बाद एसडीएम ने मौके पर एक पोकलेन मशीन, तीन हाईवा और एक ट्रेलर को जब्त कर पंचनामा तैयार कराया। जब्त वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की गई। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध खनन और परिवहन में लगे लोगों में हड़कंप मच गया है।